बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / BSP(H)CL–06 / 2025(खंड–II)– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– **राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई, 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त, 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक शत् प्रतिशत अनुदान देने हेतु ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अतिरिक्त 3797.00 करोड़ (तीन हजार सात सौ संतानवे करोड़) रुपये स्वीकृत राशि के विरूद्ध माह मार्च, 2026 में 1265.68 करोड़ (एक हजार दो सौ पैसठ करोड़ अड़सठ लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय संकल्प संख्या–3457 दिनांक–18.07.2025 द्वारा राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई, 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त, 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक शत् प्रतिशत अनुदान देने हेतु ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अतिरिक्त 3797.00 करोड़ (तीन हजार सात सौ संतानवे करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति के साथ–साथ राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन के लिए कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पूर्ण वित्तीय सहायता एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके विरूद्ध माह जनवरी, 2026 में 1265.66 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध करा दिया गया है एवं माह फरवरी, 2026 के लिये 1265.66 करोड़ रूपये हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–866 दिनांक–13.02.2026 निर्गत है। वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में माह मार्च, 2026 में 1265.68 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई, 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त, 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक शत् प्रतिशत अनुदान देने हेतु ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अतिरिक्त 3797.00 करोड़ (तीन हजार सात सौ संतानवे करोड़) रुपये स्वीकृत राशि के विरूद्ध माह मार्च, 2026 में 1265.68 करोड़ (एक हजार दो सौ पैसठ करोड़ अड़सठ लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष, 2801–विद्युत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, विपत्र कोड–10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना चालू खाता संख्या–10839114909 एवं IFSC Code-SBIN0000153 में की जायेगी।

5. उक्त योजना की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में की गयी है।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–I) के पृष्ठ संख्या–04/टि0 पर दिनांक–18.07.2025 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–II) के पृष्ठ संख्या–28/टि0 पर दिनांक–25.03.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–II)– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–II)– 1610 /पटना, दिनांक– 25.03.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.03.26
सरकार के संयुक्त सचिव।

10